

विधान सभा प्रश्न क्रमांक-927 तारांकित के प्रश्नांश "क" की जानकारी

क्र.	कार्य का नाम	वर्ष	राशि (रु. लाख में)	रिमार्क
1	ऑफिस कम गोदाम कम प्लेटफार्म	1984	0.83	सरल क्रमांक 1 से 6 तक के वर्णित कार्य केन्द्रीय अनुदान योजना अन्तर्गत वर्ष 1979 में राशि रु. 1.00 लाख एवं वर्ष 1986 में राशि रु. 0.50 लाख, इस प्रकार कुल राशि रु. 1.50 लाख से एवं शेष राशि मंडी निधि के अन्तर्गत कराये गये है।
2	वाटर टैंक	1986	0.07	
3	वाटर ट्रफ	1985	0.22	
4	ट्यूबवेल	1986	0.52	
5	200 मेट्रिक टन गोदाम	1985	1.21	
6	बाउण्ड्रीवाल	1988	2.97	
योग:-			5.82	
7	कार्यालय भवन	2017-18	18.41	सरल क्रमांक 7 से 10 तक के निर्माण कार्यों के लिए बोर्ड निधि से राशि स्वीकृत की गई है एवं सरल क्रमांक 11 से 15 तक के निर्माण कार्यों की किसान सड़क निधि के अन्तर्गत दिनांक 23.02.2018 से स्वीकृति जारी की गई है।
8	बाउण्ड्रीवाल	2017-18	11.03	
9	आंतरिक डब्ल्यू.बी.एम. रोड	2017-18	11.59	
10	एप्रोच रोड	2017-18	9.99	
11	ट्रॉलीशेड 30 मीटर	2018	19.58	
12	कवर्ड शेड	2018	22.50	
13	दुकानों के पीछे फिलिंग कार्य	2018	5.00	
14	दुकानों के पीछे नाली कार्य	2018	10.00	
15	इलेक्ट्रीक पोल	2018	6.00	

परिशिष्ट "अ" पृष्ठ पंद्रह

अनुभाषक कार्यालय,
कृषि विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

अधीक्षण यंत्री
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल


①

परिशिष्ट - 'ब'

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 927 तारांकित के संबंध में प्राप्त मण्डी शुल्क की
जानकारी

वर्ष	प्राप्त मण्डी शुल्क
2010-11	6,70,470 /-
2011-12	11,79,749 /-
2012-13	8,68,565 /-
2013-14	3,79,636 /-
2014-15	3,08,492 /-
2015-16	8,45,313 /-
2016-17	80,500 /-
2017-18 (अप्रैल 17 से दिसम्बर 17 तक)	7,385 /-

परिशिष्ट 'ब' पृष्ठ 486


Account Officer
Mandi Division, Bikaner


अनुभागी अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
किसानों के कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
संभलपुर, छत्तीसगढ़, भारत